भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex
सीएचएसएस शाखा CHSS Section

सं.No.NFC/Admn./CHSS/2020/3071 दिनांक Date: 14.08.2020

परिपत्र CIRCULAR

यह एनएफसी द्वारा जारी दिनांक 16.07.2020 के परिपत्र सं. NFC/Admn./CHSS/ 2020/3007 के संदर्भ में है जिसमें सीएचएसएस नियमावली, 1988 के नियम-15 के अंतर्गत कोविड-19 को चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया था। उक्त परिपत्र के माध्यम से एनएफसी, हैदराबाद के सीएचएसएस लाभार्थियों को एनएफसी के पैनलित अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता नहीं होने की दशा में कोविड-19 के इलाज के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा प्राधिकृत 23 निजी अस्पतालों में सीधे उपचार करवाने की अनुमति दी गई थी।

This is with reference to NFC Circular No. NFC/Admn./CHSS/2020/3007 dated 16.07.2020 declaring COVID-19 as Medical emergency under Rule-15 of CHSS Rules, 1988. Vide said Circular, CHSS beneficiaries of NFC, Hyderabad were allowed to avail the treatment directly from any of the 23 private Hospitals which has been authorised by the Government of Telangana for treatment of COVID-19, in case of non availability of beds in NFC empanelled Hospitals.

2. इस संबंध में निदेशक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तेलंगाना सरकार के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 04.08.2020 के प्रेस नोट तथा दिनांक 03.08.2020 के जी.ओ. द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु डेक्कन अस्पताल एवं विरिंची अस्पताल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद को दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए डेक्कन अस्पताल एवं विरिंची अस्पताल को कोविड-19 के पुष्टिगत एवं संदिग्ध मामलों का उपचार करने की अनुमति नहीं है।

In this regard, Government of Telangana, Office of the Director of Public Health and Family Welfare vide their press note dated 04.08.2020 and G.O. dated 03.08.2020 has revoked the permission given to Deccan Hospital and Virinchi Hospital, Banjara Hills, Hyderabad for treatment of COVID-19 cases. Keeping in view of the decision taken by the Government of Telangana, Deccan Hospital and Virinchi Hospital are not permitted to admit and treat confirmed or suspected cases of COVID-19.

3. अतः सीएचएसएस, एनएफसी के सभी लाभार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त अस्पतालों से कोविड-19 का कोई भी उपचार नहीं कराएं। तथापि, जो रोगी पहले से ही उक्त अस्पतालों में भर्ती हैं वे ठीक होने तक उपचार करवा सकते हैं तथा इसकी प्रतिपूर्ति इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक 16.07.2020 के परिपत्र के अनुसार की जाएगी। अबसे कोई भी सीएचएसएस लाभार्थी यदि स्वयं से उपर्युक्त दोनों अस्पतालों से कोविड-19 का उपचार लेता/लेती है तो वह सीएचएसएस से कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

All CHSS beneficiaries of NFC are, therefore, advised not to avail any COVID-19 treatment from the said Hospitals with immediate effect. However the patients who are already admitted in the said Hospitals can avail treatment until the time of recovery and will be reimbursed as per this office circular dated 16.07.2020 mentioned above. Any CHSS beneficiaries who avails COVID-19 treatment from the above 02 (two) Hospitals henceforth on their own accord will not be eligible for any benefits from CHSS.

PTO

4. यह सक्षम प्राधिकारी, एऩएफसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority, NFC.

पी. कृष्ण कांत 14/08/2020

(पी. कृष्ण कांत / P. Krishna Kanth)

सहा.का.अधि.(सीएचएसएस) /APO(CHSS)

सभी कर्मचारी To all the employees
सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants /Sections
सभी सूचनापट्ट/All Notice Boards

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ for kind information.
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक/परि.निदे.जेडसी/.पलय/.महा.प्रबं/क्षे.नि,.क्रभनिहैए/उपमहा.प्रबं/.प्रधान/वरि.प्रबं/.प्रबं/.उप प्रबं/.कार्या.प्रभारी/ DCEs/PD, ZC/P/ GMs/RD, HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) ओएचसी ,कोटा व जेडसी/(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)सीएचसी वसीएचएसएस /(मुख्यचिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी ,नाईस
   CMS(OHC, Kota &ZC)/CMS(CHC&CHSS/CMO/Medical Officers, NFC/PD(NFC-K)/GM(ZC)
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईस CAO, NFC
5. संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा) JC (F&A), NFC
6. उप महानिरीक्षक ,पऊवि मुख्यालय/समादेष्टा, केंऔसुब DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
7. महासचिव, नाईस औ.का.संघ General Secretary, NFC IWU
8. अध्यक्ष ,नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी
   President, NFC SSA/ NFC SAA / NUFCOA

सूचनार्थ प्रति/Copy also for information to:

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CAO, AMD, Hyderabad
2. प्रभारी वैज्ञानिक, टीआईएफआर, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, एईसीएस-I/II, एएयूएच, हैदराबाद / Principal, AECS-I/II, AUH, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल,ईसीआईएल कैंपस, हैदराबाद
7. Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
8. आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद / IIW, DAE, Hyderabad
9. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू)एम (शहर कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद
10. Manager-Purchase, RPU(M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
11. समन्वयक, सेवानिवृत कर्मचारी संगठन /Coordinator, Retired Employees' Association